

मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय,

क्रमांक एफ 8-10/2011/38-1,
प्रति,

भोपाल, दिनांक 21/7/2011

आयुक्त,
उच्च शिक्षा,
मध्यप्रदेश, सतपुड़ा भवन,
भोपाल ।

विषय:- शासकीय सेवकों द्वारा विभिन्न प्रयोजनों से की जाने वाली
विदेश यात्रा हेतु अनापत्ति/अनुमति दिये जाने बावत् ।

विभाग के अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा विभिन्न
कारणों से विदेश यात्रा अनापत्ति/अनुमति हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाते हैं,
जो समय-सीमा के होते हैं । अनापत्ति/अनुमति में विलम्ब न हो इस दृष्टि
से विचारोपरान्त राज्य शासन द्वारा स्वयं के व्यय से की जाने वाली विदेश
यात्राओं के आवेदनों पर अनापत्ति/अनुमति दिये जाने हेतु आयुक्त, उच्च
शिक्षा मध्यप्रदेश भोपाल को अधिकृत किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(सी०बी० पड़वार)

उप सचिव,

मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ०क्रमांक एफ 8-10/2011/38-1,
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 21/7/2011

1. विशेष सहायक, मा० मंत्री जी, उच्च शिक्षा विभाग ।
 2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग ।
 3. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर ।
 4. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय शाखा ।
 4. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश ।
 5. समस्त प्राचार्य, शा० महाविद्यालय, मध्यप्रदेश ।
 6. समस्त जिला कोषालय अधिकारी मध्यप्रदेश ।
- की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।
8. आर्डर बुक ।

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग